Entry 134

53

समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल, भोपाल

प्रकरण क्र.
PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2017/4931

1 ओम प्रकाश मीणा आ0 श्री भंवर जी, आयु 48 वर्ष
निवासी ग्राम बेगमपुरा तहसील गौहरगंज
जिला रायसेन म0प्र0।

2 अर्जुन सिंह आ0 नारायण सिंह, वयस्क
निवासी ग्राम बेगमपुरा तहसील गौहरगंज
जिला रायसेन म0प्र0। ------------ पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मोहम्मद जिया सलीम आ0 श्री रज्जाक खां, 36 वर्ष
निवासी–म0न0 78/1 अहीर पुरा चर्च रोड
जहांगीराबाद भोपाल म0प्र0। ------------ उत्तरदाता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

पुनरीक्षकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना हैं :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

उत्तरदाता ग्राम बेगम पुरा पटवारी हल्का नम्बर 20 राजस्व निरिक्षक मण्डल उंपरावगंज तहसील गौहरगंज जिला रायसेन की भूमि खसरा क्र. 65/1/1/1/1/1 रकवा 2. 227 हेक्टेयर (5.50 एकड़) का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित होने के आधार पर दिनांक 15/06/2015 को सीमाकंन प्रकरण क्रं. 50/आर आई/2015 के द्वारा सीमाकंन कराया जैसा उत्तरादाता ने अपने न्यायालय तहसीलदार गौहरगंज जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता दिनांक 08.06.2017 में वर्णित किया हैं। उक्त सीमाकंन की पुनरीक्षणकर्तागण को काई सूचना नही दी गई, सीमाकंन के सूचना पत्र दिनांक 01.06.2015 के पीछे पटवारी हल्का नं0

निरन्तर.......2

17 के द्वारा **"सभी पड़ौसी कृषको ने पढ़कर सूचना पत्र पर हस्ताक्षर कने से मना किया।"** लिख कर ग्राम कोटवार हरिसिंह से हस्ताक्षर करा लिये जबकि उक्त भूमि प. ह.न. 20 के अन्तर्गत स्थित हैं। उत्तरदाता के द्वारा दिनांक सीमाकंन दिनांक 15.06. 2015 से दो वर्ष पूर्ण होने के एक सप्ताह पूर्व दिनांक 08.06.2017 जब न्यायालय तहसीलदार गौहरगंज जिला रायसेन के समक्ष आवेदन अन्तर्गत 250 म0प्र0भू–राजस्व प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया एवं दिनांक पुनरीक्षण कर्ता को न्यायालय तहसीलदार गौहरगंज का सूचना पत्र भेजा गया तब उसे सीमाकंन की जानकारी हुई तो उसने राजस्व निरिक्षक से सम्पूर्ण सीमाकंन प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो राजस्व निरिक्षक के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 11.10.2017 को प्राप्त हुई। सीमाकंन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर पुनरीक्षणकर्ता की गंभीर रूप पीलिया की बीमारी से ग्रसित हो गया जिस कारण सीमाकंन जानकारी दिनांक एवं प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के उपरांत समय सीमा में पुनरीक्षण प्रस्तुत नही कर सका। जैसे ही पुनरीक्षणकर्ता की तबियत सही हुई उसके द्वारा बिना बिलम्ब के यह पुनरीक्षण माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/R/राजस्व/RW/2017/4931

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-05-19	आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का ग्राह्यता व धारा 5 के आवेदन पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश दिनांक 15-6-2015 के विरूद्ध दो वर्ष विलम्ब से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । आवेदकपक्ष द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुये बिलम्ब का कारण सीमांकन आदेश की जानकारी नहीं होने का बताया है तथा संहिता की धारा 250 के प्रकरण में आवेदक को तहसील न्यायालय से सूचना पत्र जारी होने पर सीमांकन आदेश की जानकारी दिनांक 8-6-17 को होना बताया गया है तथा निगरानी 28-11-17 को प्रस्तुत करना बताया है तथा विलम्ब कारण आवेदक गंभीर रूप पीलिया की बीमारी से ग्रसित होना बताया है परन्तु उक्त तर्क के समर्थन में चिकित्सा प्रमाणपत्र आदि प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसलिये आवेदकपक्ष द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं माना जा सकता । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया समयबाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	